न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बडीसादडी जिला चितौडगढ

पीठासीन अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे(आर.ए.एस.)**

प्रकरण क्र. 6 / 2013 (पुराना न. 104 / 2001) मूल वाद

1 – हीरालाल पिता खीमा डांगी आयु वयस्क निवासी अमीरामा

2 – परथा पिता खीमा डांगी मृतक के वारीसान –

2 / 1– रामेश्वर पिता परथा डांगी आयु वयस्क निवासी अमीरामा

2 / 2– गंगाबाई पत्नी भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी लिकोडा

2 / 3– बादामी पत्नी भंवरलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सेमलिया

2 / 4–बंसती बाई पत्नी जमनालाल डांगी आयु वयस्क निवासी लिकोडा

2 / 5–गोपीबाई पत्नी कैलाशचंद्र डांगी आयु वयस्क निवासी फाचर

3 – नारायण पिता खीमा डांगी आयु वयस्क निवासी अमीरामा

4 – रामलाल पिता खीमा डांगी आयु वयस्क निवासी अमीरामा

– **वादीगण**

बनाम

1 – महन्त मुरली मनोहर शरण दास मृतक के वारीस –

1 / 1– रासबिहारी शास्त्री अस्थल मन्दिर, सूरजपोल के अन्दर उदयपुर

2 – भूमिधारी सरकार जरीये तहसीलदार बडीसादडी – **प्रतिवादीगण**

उपस्थित – विजय सिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण

दिनेश कुमार वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी क्रमांक 1

निर्णय **दिनांक**

1. वादीगण की ओर से एक वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारास 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया।

...कलक्टर एवं कार्यपालक
(फा.ट्रेक) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

2. संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमीरामा में खाता सं. 138 में खसरा नं. 37 रकबा 18 बिस्वा तथा खसरा नं. 38 रकबा 17 बिस्वा , कुल 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादीगण व उनके पिता के समय से स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही हे तथा आराजी पर वादीगण काबीज है। वादीगण का यह भी कथन है कि 1955 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उस समय से आराजी पर वादीगण काश्तकार की हैसियत से काबीज थे तथा राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता खीमा की हैसियत उपकृषक व खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उसी समय अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत वादीगण के पिता आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो चुके है। वादीगण ने ये भी अंकित किया है कि सम्वत् 2010 से आराजी रिकार्डेड पजेशन में है और 2010 से आज तक आराजीयात पर प्रतिवादी कमांक 1 का कब्जा कभी 1 दिन के लिए भी नहीं रहा इसलिये धारा 19 के तहत बाय आपरेशन ऑफ लॉ वादीगण आराजीयात के खातेदार हो चुके है इसलिये आराजीयात की खातेदारी की घोषणा वादीगण के नाम पर करायी जावे।

3. यह कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में वादीगण के द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत तथ्यों को अस्वीकार करते हुये वादीगण का वादपत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में विशेष कथन में यह भी अंकित किया हे कि वादीगण की ओर से पूर्व में आराजीयात के बाबत एक प्रकरण कमांक 56/1993 पेश हुआ था जो दिनांक 28/2/2001 को खारीज हो चुका है इसलिये पुनः वाद चलने योग्य नहीं है।

4. यह कि वादपत्र तथा जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार तनकियात की रचना की गयी –

तनकी नं. 1 – आया वादपत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता के समय से वादीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व में चली आ रही है ? – वादी

तनकी नं. 2 – आया वादीगण काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार काश्तकार हो चुके है ? – वादी

तनकी नं. 3 – आया वादीगण काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय से ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबीज होकर आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है ? – वादी

तनकी नं. 4 – आया वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद के खारीज हो जाने से वाद चलने योग्य नहीं है ? – प्रतिवादी

तनकी नं. 5 – सहायता ?

कलेक्टर एवं कार्यपालक
... चित्तौड़गढ़

5. यह कि तनकी नं. 4 लिगल इश्यु होने से इस तनकी पर साक्ष्य रिपोर्ट पर लिये जाने से पूर्व उभय पक्षो की बहस सुनी गयी तथा आदेश दिनांक 27/1/2004 के अनुसार तनकी नं. 4 को पूर्णतः विधि की तनकी नहीं मानते हुये साक्ष्य व सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के आदेश के साथ तनकी का निर्णय किया जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

6. यह कि साक्ष्य वादी में पी.ड.1 – नाथुलाल , पी.ड. 2 हीरालाल, पी. ड. 3 – नारायणलाल, पी.ड 4 – जगदीशलाल के कथन मौखिक साक्ष्य में लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत् 2055 से 2058 की जमाबन्दी प्रदर्श 1, सम्वत् 2015 से 2018 की खसरा गिरदावरी प्रदर्श – 2, सम्वत् 2019 से 2022 की खसरा गिरदावरी प्रदर्श – 3, सम्वत् 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी प्रदर्श – 4, प्रस्तुत करके प्रदर्शित करवाये गये।

7. यह कि प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य दस्तावेती अथवा मौखिक प्रस्तुत नही की गयी। उभयपक्षीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. यह कि तनकी नं. 1, 2 व 3 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने जैसा कि अपने वादपत्र में कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ उस समय वादीगण के पिता खीमा उपकृषक व खुदकाश्त के रूप में राजस्व अभिलेखो में दर्ज थे। प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर आता है कि आराजी नं. 37 व 38 ग्राम अमीरामा में खीमा पिता किशना डांगी का नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेख प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2018 का अवलोकन करने से यह जाहिर आता है कि खसरा नं. 37 व 38 के बाबत् कॉलम नं. 6 में जहा कि नाम कृषक विवरण सहित व नाम उपकृषक अंकित है उस चरण में खीमा पिता किशना डांगी अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2022 के अवलोकन से भी यह जाहिर आता है कि खीमा पिता किशना डांगी का नाम शिकमी काश्तकार के रूप मे दर्ज है।

9. अधिवक्ता वादी के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादीगण की ओर से अपने वादपत्र में इन्टर एरिया धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदारी घोषित करने की मांग की है जिसकी मंशा यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय जो काश्तकार खुदकाश्त या शिकमी था वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था।

...क कलेक्टर एवं कार्यपालक
...जिस्ट्रेट ...सादड़ी चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता वादीगण के द्वारा बहस के दौरान न्यायिक व्यवस्था **R.R.T jan. 2001[1]** भोमा बनाम दूदाराम पेज – 33 , प्रस्तुत की जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थी शिकमी काश्तकार था और कृषि भूमि पर उसकी खेती पर कब्जा था – तब दिनांक 15/10/1955 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया परन्तु पत्रावली में इस सन में गलत प्रविष्टि कर दी गयी परन्तु इससे उसके हक पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। गलत प्रविष्टि द्वारा जो बदलाव आया है वह अनाधिकृत था। इसी संदर्भ में वकील वादी के द्वारा एक न्यायिक व्यवस्था **R.R.D 1996** शोचन्द्र बनाम मूरलीधर पेज – 324, प्रस्तुत की जिसमें भी रेवेन्यू बोर्ड द्वारा इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अधिवक्ता वादी की ओर से एक अन्य न्यायिक व्यवस्था 2006(2) **R.R.T 802[High court]** अब्दुल हमीद खान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान पेज 802, प्रस्तुत की जिसमें भी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से खेतीहर के कब्जे को मान्यता देते हुये खातेदारी की घोषणा की गयी। एक अन्य न्यायिक व्यवस्था **R.R.D 1993** पेज 232 श्रीमती बैजयन्ती बनाम श्री भगवती प्रसाद प्रस्तुत की जिसके उपचरण बी. में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 19 के प्रावधानो के अन्तर्गत सम्वत् 2011 से निरन्तर काबीज खेतीहर को खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये।

10. यह कि अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अपनी बहस में इस तथ्य पर जोर दिया कि वादीगण सिर्फ पांतीदार थे इसलिये वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादीगण के द्वारा वादपत्र में 2 आधारो पर खातेदारी अधिकार की मांग की गयी है जिसमें प्रथम तो यह कहा गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी प्रदान की जाये तथा दूसरे तथ्य में यह कहा गया है कि वादीगण का एडवर्स पजेशन होने से खातेदारी के अधिकार दिये जाये। अधिवक्ता के द्वारा इस तथ्य पर जोर दिया गया कि वादीगण के द्वारा गलत रूप से राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दर्ज करवा लिया अथवा राजस्व अधिकारीयो द्वारा गलत दर्ज कर लिया।

11. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन करने से यह जाहिर आता है कि जवाब दावे की चरण सं. 3 व चरण सं. 4 में वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता खीमा का नाम

...कलेक्टर एवं कार्यपालक
...(...) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

अंकित होना स्वीकार किया है लेकिन यह कथन किया गया कि गलत रूप से अंकित हुआ है इसलिये निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के कब्जे को भी जवाबदावे में नकारा गया है। लेकिन वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी सबूत हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यही नहीं वादीगण के कब्जे के विरूद्ध भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। यद्यपि अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से न्यायिक व्यवस्था 2016(1)R.R.T 462 High court जयफाल खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार घोषित करने के लिये सिर्फ कब्जा ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से 2012(2)R.R.T 744 Revenue board स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नवी खान व 2013(1)R.R.T 216 Revenue board रामसहाय बनाम पूरण प्रस्तुत किये लेकिन दोनो ही न्यायिक व्यवस्थाये प्रस्तुत प्रकरण में लागु नहीं होती है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर अखण्डित रही है।

12. यह कि वादीगण की ओर से अपने वादपत्र की पुष्टि में साक्षीगण पी.डब्ल्यू 1 नाथुलाल, हीरालाल पी.डब्ल्यू 2, नारायण लाल पी. डब्ल्यू 3 तथा जगदीशलाल पी.डब्ल्यू 4 को प्रस्तुत किया है उन्होने भी वादीगण के आधिपत्य को सम्वत् 2010 से निरन्तर वादग्रस्त आराजी पर होना अभिकथित किया है जो अखण्डित रहने से उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है।

13. उक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र में अंकित अनुसार ग्राम अमीरामा की आराजी नं. 37 रकबा 18 बिस्वा तथा आराजी नं. 38 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा वादीगण के पक्ष में की जाती है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजीयात में प्रतिवादी कमांक 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे। डिकी पर्चा इसी अनुसार मूर्तिब हो। तहसीलदार बडीसादडी को डिकी की पालना हेतु नियमानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़